

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

आदेश

सं० सं०-2/एल-79/2024- /स्वा०, पटना, दिनांक / / 2025

डा० सना आफताब, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर अस्पताल, नवादा के द्वारा दिनांक-25.06.2023 से 15.07.2023 तक कुल-21 (इक्कीस) दिन उपभोगित अवकाश अवधि को वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-195(25), दिनांक-22.01.2025 से प्राप्त अवकाश आदेयता एवं वित्त विभागीय पत्रांक-9889, दिनांक-01.12.2015 के आलोक में शिशु देखभाल अवकाश के रूप में स्वीकृत किया जाता है। उपभोगित अवकाश को घटाने के पश्चात डा० सना आफताब को 709 (छः सौ नौ) दिन शिशु देखभाल अवकाश आदेय रह जाता है।

2. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(विद्याननन्द जमादार)

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक-2/एल-79/2024- 281/2 पटना, दिनांक 25/07/2025

प्रतिलिपि: महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, नवादा/अधीक्षक, सदर अस्पताल, नवादा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: कोषागार पदाधिकारी, नवादा/डा० सना आफताब, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर अस्पताल, नवादा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि: आई०टी०मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव